राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक : प.14(8)RSMSSB/अर्थना/म.बा.वि./2015/पार्ट–II/181 दिनांक : 21.04.2016

कार्यालय आदेश

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाऐं के लिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–1998 के अन्तर्गत पर्यवेक्षक (गैर अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती परीक्षा–2015 की परीक्षा दिनांक 29.11.2015 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा दिनांक 31.12.2015 को जारी किया गया था। परीक्षा में अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु दिनांक 18.01.2016 से 20.01.2016 को निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, महिला एवं बाल विकास विभाग, 2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर पर उपस्थित होने हेतु बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 05.01.2016 के द्वारा निर्देशित किया गया था। महिला बाल विकास विभाग ने पर्यवेक्षक (गैर अनुसूचित क्षेत्र) के पद पर अस्थाई रुप से चयनित अभ्यर्थियो की पात्रता की जांच कर सूची बोर्ड को दिनांक 29.02.2016 एवं दिनांक 08.03.2016 द्वारा भिजवाई गई थी। विभाग द्वारा भिजवाई गई सूचियों की बोर्ड द्वारा पुनः जाँच की गई। परीक्षा में अस्थाई (Provisional) रूप से सफल घोषित अभ्यर्थिया सुश्री मनीषा कुमारी रोल नं. 140960 एवं सुश्री सुचेता कुमारी रोल नं. 143039 का अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी में चयन किया गया था। अभ्यर्थिया सुश्री मनीषा कुमारी एवं सुश्री सुचेता कुमारी भरतपुर जिले की जाट जाति की निवासी है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट याचिका संख्या डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा भरतपुर एवं धौलपुर जिले की जाट जाति को अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में घोषित किये जाने वाली अधिसूचना क्रमांक 459 दिनांक 10.01.2000 को निरस्त कर दिया गया है। अब भरतपुर एवं धौलपुर के जाट जाति के अभ्यर्थियों को अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। उपरोक्त वर्णित कारण से **अभ्यर्थिया सुश्री मनीषा कुमारी रोल नं. 140960 एवं सुश्री सुचेता कुमारी रोल नं. 143039** का पर्यवेक्षक(गैर अनुसूचित क्षैत्र) के पद पर किया गया अस्थाई चयन निरस्त किया जाता है।

(आर0 के0 मीना)
अध्यक्ष